संख्याः– / XXIX-2 / 2025 / E-45638

प्रेषक,

डी०एम०एस० राणा
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त अधिशासी अधिकारी,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांकः सितम्बर, 2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–503 / PU-118 / 2024–25, दिनांक 23 जून, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम–अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उत्तराखण्ड में पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राजस्व मद से **₹ 7.00 करोड़ (₹ सात करोड़ मात्र)** प्रशासनिक व्यय (नियुक्त कार्मिकों के वेतन / मानदेय, परियोजना के अनुश्रवण हेतु नियुक्त फर्मों के भुगतान एवं अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु) एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पूंजीगत मद से **₹ 60.00 करोड़ (₹ साठ करोड़ मात्र), कुल ₹ 67.00 करोड़ (₹ सड़सठ करोड़ मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) उक्त धनराशि संयुक्त अधिशासी अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार देहरादून से आहरित की जायेगी। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार / विश्व बैंक पोषित द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायेगी। स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा। साथ ही उक्त के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–2363 / उन्तीस(2) / 18–2(149पे0) / 2017, दिनांक 18 सितम्बर, 2018 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का आहरण तभी किया जाय, जब पूर्व में अवमुक्त धनराशि शत्–प्रतिशत उपयोग किया गया हो।

(iii) स्वीकृत धनराशि का विभिन्न मदों पर व्यय अनुमोदित परियोजना के अनुसार तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जायेगा। कार्यवार धनावंटन एवं व्यय की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेंन्शियल हैण्डबुक, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार ही धनराशि व्यय की जाय और मितव्ययता बरती जाय।

(v) उपरोक्त उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग / उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / सहायक लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार से विचलन होगा तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का उत्तरदायित्व होगा। सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को दी जाय।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर कृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को समयबद्व रूप से प्रेषित कर दिया जाय।

2– उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत **₹ 7.00 करोड़** की धनराशि लेखाशीर्षक–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम–97–वाह्य सहायतित योजना–वाह्य/विश्वबैंक सहायित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना स्वजल (द्वितीय चरण)–53–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) से तथा **₹ 60.00 करोड़ की धनराशि** लेखाशीर्षक–4215–जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल पूर्ति–102–ग्रामीण जल पूर्ति–97–वाह्य सहायतित योजना–01–वाह्य/विश्व बैंक सहायित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना स्वजल (द्वितीय चरण)–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025, दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 09-09-2025 12:57:29

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव

संख्याः– (1)/ XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. संयुक्त अधिशासी अधिकारी, राज्य कार्यक्रम सहयोगी इकाई (एस०पी०एस०यू०) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by Vivek Kumar Jain
Date: 09-09-2025 13:45:59

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव